कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून

संख्याः 26,435/सात लाई0–48/आबकारी नीति–2025/देहरादूनः दिनांकः मार्च, 26 2026

::सार्वजनिक विज्ञप्तिः:

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026–27 व 2027–2028 की अवधि हेतु जनपद पौड़ी गढ़वाल की 05 अव्यवस्थापित विदेशी मदिरा दुकानो का व्यवस्थापन द्वितीय चरण के अधिकतम ऑफर के माध्यम से निम्नानुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाना है:–

क्र.स.	विवरण	दिनांक
01	द्वितीय चरण के अधितकम ऑफर पर मदिरा दुकानों का आवंटन हेतु आवेदन एवं आवंटन की तिथि व समय	दिनांक 31.03.2026 को प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक ऑफर प्राप्त किये जायेगे तथा प्राप्त ऑफर सांय 5:15 बजे से जिला सभागार कलेक्ट्रट पौड़ी में खोले जायेंगे।

जनपद की अवशेष व्यवस्थापित की जाने वाली विदेशी मदिरा दुकानों का नाम व राजस्व विवरण निम्नवत् है:–

क्र.स.	दुकान का नाम	वर्ष 2026–27 का निर्धारित राजस्व	वर्ष 2027–28 का निर्धारित राजस्व	हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि	धरोहर धनराशि वर्ष 2026–27 व 2027–28 के निर्धारित राजस्व का 2%
1	नैनीडाडा	20499862	21319856	3197978	836394
2	पौखाल	25979114	27018278	4052742	1059948
3	व्यासघाट/सिल्सूतल्ला/उमरासू रोड	26500000	27560000	4134000	1081200
4	रामणी/भरतनगर/उर्तिक्षा	31800000	33072000	4960800	1297440
5	कसाणी	19292000	20063680	3009552	787114

उक्त विदेशी मदिरा दुकानों हेतु उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या 176/XXIII-1/2025–04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 के अनुसार पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व–प्रमाणित छायाप्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र (जी–39) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र (मूल रूप में)/एफ.डी.आर. (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत), आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्षो का आई.टी.आर. प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर करना अनिवार्य होगा, 10 करोड से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 5 लाख का आई.टी.आर. प्रमाण पत्र अनिवार्य है, एवं निर्धारित धरोहर धनराशि जो कि वार्षिक निर्धारित राजस्व (EMD) (दोनो वर्षो के कुल राजस्व का 2% के बराबर की धनराशि) व प्रक्रिया शुल्क रू0 65 हजार (नॉन रिफन्डेवल) का बैक ड्राफ्ट (आबकारी नीति घोषित होने की तिथि के बाद जारी) जो कि जिला आबकारी अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पदनाम से देय होगा।

द्वितीय चरण के अधिकतम राजस्व ऑफर में प्रथम चरण के ऑफरदाताओं को भी सम्मिलित किया जायेगा जिसमें उनके द्वारा प्रथम ऑफर हेतु जमा की गई प्रक्रिया शुल्क व धरोहर धनराशि मान्य होगी, जिसमें दुकानों हेतु प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुये उच्चतम राजस्व ऑफर प्राप्त किया जा सके। द्वितीय चरण के अधिकतम राजस्व ऑफर प्रक्रिया में यदि द्वितीय चरण के ऑफरदाताओं के द्वारा दिया गया राजस्व ऑफर प्रथम चरण में दिये गये ऑफर से कम होता है तो प्रथम चरण के अधिकतम ऑफरदाता के राजस्व ऑफर को राजस्व हित में स्वीकार करने के संबंध में विचार किया जायेगा। आवेदक आबकारी नीति विषयक नियमावली–2025 (त्रिवर्षीय) के उपबन्धों के अनुसार आवंटन के नियमों एवं शर्तो के भिज्ञ हो। दुकानों के आवंटन के संबंध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार आबकारी आयुक्त का होगा। उक्त दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in अथवा www.uk.nic.in व कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(अनुराधा पाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्याः 26,436–40/सात लाई0–48/आबकारी नीति–2025/देहरादूनः तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड़ देहरादून।
2– जिलाधिकारी,गढवाल।
3– समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4– जिला आबकारी अधिकारी, पौड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि द्वितीय चरण के अधिकतम राजस्व ऑफर के पश्चात अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों की सूची वार्षिक राजस्व सहित एवं अन्य ऑपचारिकताओं के ब्यौरे सहित आबकारी नीति विषयक नियमावली–2025–26, 2026–27 व 2027–28 के अनुसार विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5– हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, आज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड प्रादेशिक संस्करण में दिनांक 27.03.2026 को न्यूनतम स्थान पर प्रकाशित करते हुये भुगतान हेतु बिल कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(अनुराधा पाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

Scanned with CamScanner